राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः प. 10(46)/परि/स.सु./प्रशिक्षण/2015 / 18855 जयपुर, दिनांकः 11-8-23

निविदा सूचना संख्या – 1/2023–24

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा आगामी 1 वर्ष में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीटयूट में सडक सुरक्षा संबंधी विभिन्न विषयों पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं एवं सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के स्किल लैब में आयोजित किये जाने वाले Basic Life Support के प्रशिक्षणों में प्रशिक्षणार्थियों को निम्न प्रकार चाय व लंच उपलब्ध करवाने हेतु **दर संविदा करने के लिये** खुली निविदायें आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित कार्य (राशि रू. लाख में)	बोली प्रतिभूति राशि (रू.)	बोली प्रपत्र शुल्क	निविदा जारी करने की दिनांक व समय	निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा (तकनीकी) बिड खोलने की दिनांक व समय
1.	प्रशिक्षणों में प्रशिक्षणार्थियों हेतु चाय व लंच सप्लाई	6.00	12000/–	200/–	14.08.2023	22.08.2023 1.00 P.M.	22.08.2023 4.00 P.M.

निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्ते विभाग की वेबसाइट www.transport.rajasthan.gov.in एवं http:/sppp.raj.nic.in पर देखी एवं डाउनलोड़ की जा सकती है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र का शुल्क निविदा के साथ नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट (आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के नाम से देय) के माध्यम से जमा कराना होगा।

निविदा शुल्क एवं निविदा प्रतिभूति राशि के अभाव में किसी भी निविदा को स्वीकार नही किया जाएगा।

(निधि सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (स.सु.)

क्रमांकः प. 10(46)/परि/स.सु./प्रशिक्षण/2015 / 18856-62 जयपुर, दिनांकः 11-8-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, DIPR को एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान पर प्रकाशनार्थ।
3. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप परिवहन आयुक्त (प्रशा0), परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सूचना सहायक को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड।

Signature valid
Digitally signed by Nidhi Singh
Designation: Joint Transport Commissioner
Date: 2023.08.11 10:59:12 IST
Reason: Approved

संयुक्त परिवहन आयुक्त (स. सु.)

RajKaj Ref No. : 4460605

कार्यालय परिवहन आयुक्त, राजस्थान सरकार

तकनीकी निविदा प्रपत्र

(प्रशिक्षणार्थियों के लिये चाय व लंच की व्यवस्था हेतु दर संविदा)

1. निविदा संख्या– ..1../2023–24
2. निविदा शुल्क राशि रू 200/– जी.ए.55 रसीद/डी.डी. संख्या..............दिनांक................बैंक का नाम .... (रसीद /डी.डी. संलग्न करें)
3. निविदा प्रतिभूति (अमानत) राशि रू 12000/– डी.डी. संख्या..............दिनांक................बैंक का नाम ... . (डी.डी. संलग्न करें)
4. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम: ....
5. डाक का पता ....
6. फोन/मोबाईल नं. : ....
7. ई–मेल : ....
8. बिडिग एजेन्सी द्वारा भरी जावे।

क्र.सं,	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	फर्म का रजिस्ट्रेशन विवरण				
2	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
3	आयकर (पैन नम्बर)				
4	टिन नम्बर				

9. जी.एस.टी टेक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट (मार्च 2023 तक) दस्तावेज संलग्न ....
10. फर्म का गत 3 वर्षो का टर्नओवर प्रतिवर्ष न्यूनतम रू. 6.00 लाख अथवा अधिक है, के प्रमाणन में दस्तावेज संलग्न.......................
11. फर्म केन्द्र सरकार/किसी भी राज्य सरकार/पी.एस.यू. द्वारा ब्लैकलिस्ट नही है (100 रू. के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र संलग्न करें)
12. फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति (FSSAI प्रमाणन)
13. फर्म का उक्त कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव है। प्रमाणन में दस्तावेज की प्रति संलग्न
14. बैंक खाते का विवरण : ....

A/C Holder Name	
A/C Number	
Bank & Branch	
IFSC Code	

घोषणाः– परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी की गई उक्त निविदा सूचना के क्रम में प्रकाशित की गई शर्ते जो निविदा के साथ संलग्न है, उनसे हम पूर्णतया सहमत है। (हमारी स्वीकृति बतौर हमने सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है)।

निविदादाता के
हस्ताक्षर मय सील

बोली की प्रमुख शर्तें:–

1. Important Instruction :- The law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012" [hereinfafter called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013" [hereinfaftr called the Rules] under the said Act have come into force which are available on website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.
2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगें।
3. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सोपेगा या भाड़े (Sub-let) पर नही देगा।
4. मूल्यांकन की कसौटी:– तकनीकी बोली में सफल/क्वालिफाईड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
5. बोली/निविदा प्रतिभूति राशि रू. 12000/– का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक तथा निविदा प्रपत्र शुल्क/फीस रू. 200/– का जी.ए 55 रसीद/डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी निविदा पत्र के साथ जमा कराना होगा। निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति राशि जमा कराने के अभाव में निविदा/बोली मान्य नही होगीं तथा उसे तकनीकी/वित्तीय बिड में शामिल नही किया जाएगा। **बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक आयुक्त परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, जयपुर के नाम से प्रस्तुत किया जाएगा।**
6. संवेदक/बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली/प्राइस बिड को छोड़कर शेष बोली दस्तावेजों को बोलीदाता के संबंधित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्रों के साथ तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली/प्राइस बिड प्रपत्र अलग–अलग लिफाफे में बन्द कर दोनो लिफाफों पर नामांकन (तकनीकी बोली प्रपत्र तथा वित्तीय बोली प्रपत्र) कर एक बड़े लिफाफे में बन्द करके प्रस्तुत की जाएगी।
7. **तकनीकी बोली के साथ में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे**
   A. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
   B. फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (FSSAI प्रमाणन) से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति
   C. अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति– इस प्रकार के किये गये कार्यों का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।
   D. गत 3 वर्षों में प्रतिवर्ष न्यूनतम 6 लाख रू. अथवा अधिक टर्न ऑवर होने के प्रमाणन में आवश्यक दस्तावेज।
   E. फर्म का किसी भी उपापन सस्थान एवं राज्य सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होने का प्रमाणन।
   F. बोली प्रतिभूति राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट
   G. बोली लगाने वाले का यह शपथ पत्र कि वह खाद्य सामग्री का विनिर्माता है।
   H. फर्म के जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति एवं गत माह का जी.एस.टी भुगतान के चालान की प्रति।
   I. आयकर फर्म के पैन/टैन कार्ड की प्रति

8. ***बिन्दु संख्या 7 में उल्लेखित समस्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने वाले निविदादाता को ही तकनीकी बोली में क्वालीफाइड/सफल बोलीदाता/संवेदक माना जायेगा एवं तकनीकी बोली में तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली/प्राइस बिड खोली जाएगी।***

9. बोली स्पष्ट शब्दों में भरी जायेगी किसी भी प्रकार की कांटछांट या ओवर राईटिंग के कारण बोली निरस्त की जा सकती है।
10. बोलीदाता बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।
11. ठेकेदार को कोई अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा। फर्म द्वारा मासिक रूप से बिल प्रस्तुत किया जायेगा।
12. यदि किसी कारणवश अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो अनुबन्ध की क्षतिपूर्ति का दायित्व अनुबन्धकर्ता/फर्म को होगा।
13. फर्म द्वारा बिल प्रस्तुत करते समय सी.जी.एस.टी व एस.जी.एस.टी को अलग अलग दर्शाया जाना होगा तथा उक्त कर सरकार में जमा कराये जाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी।
14. बोली प्रतिभूति (बिड प्रतिभूति) राशि का समपहरण सहित अन्य विधि समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 के प्रावधानानुसार की जावेगी। निम्नांकित मामलों में बोलीप्रतिभूति (बिड प्रतिभूति) राशि का समपहरण किया जा सकेगा :—
    - जब बोलीदाता तकनीकी/वित्तीय बोली खोले जाने के पश्चात किन्तु बोली की स्वीकृति के पूर्व बोली वापस ले लेता है या प्रस्ताव का उपान्तरण (मोडिफिकेशन) करता है।
    - जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादन नही करता है।
    - जब निर्धारित समय के भीतर प्रदाय आदेशानुसार मदों का प्रदाय करने में असफल रहता है।
    - जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात नियत समय में कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) राशि जमा नही कराता है।
    - बोलीदाता आर.टी.पी.पी अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।
15. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूतिः—

    अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को कार्यादेश की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत करार पत्र का निष्पादन करना होगा।

    ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जाएगा।
16. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of work performance Security Deposit):- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।

    (क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

    (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई संतोषजनक करने में असफल रहा हो।

    (ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरंभ करने में असफल रहता हों। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अन्तिम होगा।
17. बोलियों का अपवर्जन — राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
18. भुगतान :—सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल

भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

19. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन संस्था का अधिकार सुरक्षित है।
20. बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो कार्यालय समय में संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) से सम्पर्क किया जा सकता है।

भोजन व्यवस्था हेतु बोली व संविदा की शर्तें :–

1. भोजन अच्छी गुणवत्ता का होना अनिवार्य है। यदि भोजन अच्छी गुणवत्ता का नही पाया जायेगा तो अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
2. भोजन की व्यवस्था सुचारू व सन्तोषजनक रूप से नही होने पर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।
3. सभी ठेकेदार एवं उनके कार्मिक समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से शिष्ट व्यवहार करने के लिये बाध्य होंगे।
4. प्रशिक्षणार्थियों को दी जाने वाली चाय एवं लंच विभाग द्वारा वितीय बोली में अंकित मीनू के अनुसार ही तैयार किया जावेगा।
5. अनुबन्धकर्ता फर्म को चाय व लंच के पैकेट कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध कराने होगें। भोजन गर्म व ताजा होना आवश्यक है तथा पैकिंग सामग्री अच्छी गुणवता की होगी।
6. विभाग को भोजन की गुणवता की जाँच खादय विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से भी करवाये जाने का अधिकार होगा।
7. प्रत्येक प्रशिक्षण में चाय एंव लंच से 15 मिनट पहले पीने के आर.ओं. पानी की व्यवस्था स्वयं के पात्रों में प्रशिक्षण स्थल पर करनी होगी (पेपर गिलास सहित)। निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण अवधि में लंच नही लाने पर अनुबन्धक की रिस्क एवं दर व खर्च पर संस्थान द्वारा अन्य फर्म से चाय/लंच मंगवाया जायेगा तथा संस्थान को हुई आर्थिक हानि की भरपाई का उत्तरदायित्व अनुबन्धक का होगा एवं विभाग द्वारा अनुबन्धक से उसकी वसूली की जायेगी।
8. भोजन के निर्माण में **एगमार्क** सामग्री का उपयोग किया जायेगा।
9. प्रदाय भोजन की सामग्री सम्पूर्णतः निविदा में वर्णित विशिष्टताओं के अनुरूप नही होने पर स्वीकार नही होगी।
10. स्वीकृत निविदादाता द्वारा प्रयुक्त खाद्य सामग्री व किचन की जॉच हेतु यह कार्यालय अधिकृत होगा।
11. प्रस्तुत दरों में सामान लाने, ले जाने एवं कार्य स्थल पर हैण्डलिंग की लागत भी सम्मिलित होगीं।
12. दरों में समस्त प्रकार के कर (जी.एस.टी. एवं अन्य समस्त कर) एवं पैकेजिंग तथा सप्लाई चार्ज भी सम्मिलित होंगे।
13. प्रशिक्षण की सूचना स्वीकृत निविदादाता को प्रशिक्षण दिवस से एक दिन पूर्व दे दी जायेगी।
14. ***प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराये गये लंच का भुगतान प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति संख्या के आधार पर किया जायेगा। प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना प्रशिक्षण दिवस के दिन सुबह 10:30 बजे तक दे दी जायेगी एवं फर्म को उतने ही प्रशिक्षणार्थियों के लंच की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर दोपहर 01:30 बजे तक करनी होगी।***
15. प्रत्येक प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों की वास्तविक उपस्थिति एवं उपभोग के आधार पर भुगतान हेतु बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी. एवं अन्य समस्त लागू करों की कटौती करने के उपरान्त प्रस्तुत बिल का भुगतान इस विभाग द्वारा किया जायेगा।
16. प्रशिक्षणार्थियों को चाय व लंच उपलब्ध करवाने के पश्चात कचरा अपशिष्ट कार्यक्रम स्थल से बाहर हटाने की जिम्मेदारी अनुबंधक की होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

घोषणा पत्र

(फर्म के लैटर हेड पर)

बोली/निविदा की समस्त जानकारी /शर्तों का मैंने / हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मै / हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है एवं मैं/हमारें द्वारा वास्तव में बोली/निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 46 एवं RTPP नियम, 2013 के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से पात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी बोली प्रतिभूति/ एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली/निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
   a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
   b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
   d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :	Signature of bidder
Place :	Name :
	Designation :
	Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is commissioner Transport and Road Safety Department Rajasthan, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary Transport and Road Safety Department Rajasthan, Jaipur

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-
(a) Determination of need of procurement.
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) Cancellation of a procurement process.
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal
(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal
(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
(i)hear all the parties to appeal present before him: and
(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority

concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No....................of.............

Before the ....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal :..
   ....
   .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer :..
   ....
   ....
   ....

   Place ....
   Date ....

Appellant's Signature

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

I. if these is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and total shall be corrected; and

III. if these is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter or procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर

कार्यालय परिवहन आयुक्त, राजस्थान सरकार

वित्तीय बोली/प्राईस बिड

निविदा संख्या..01/2023–24................................के क्रम में हम/मैसर्स...
... की ओर से स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीटयूट में सडक सुरक्षा संबंधी विभिन्न विषयों पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं एवं सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के स्किल लैब में आयोजित किये जाने वाले Basic Life Support के प्रशिक्षणों में प्रशिक्षणार्थियों को निम्न प्रकार चाय व लंच उपलब्ध करवाने बाबत दर संविदा हेतु वित्तीय बोली/प्राईस बिड दरें निम्नानुसार प्रस्तुत करते है।

संवेदक का नामः–
संवेदक/बोलीदाता का नाम :– ....

....

चाय/कॉफी मय मग

क्र.सं.	विवरण	प्रति यूनिट दर (समस्त करों सहित) (शब्दों व अंको में)
1.	चाय/कॉफी (120 एम एल बनी हुई अच्छी किस्म की) बिस्कुट 2 मीठे व 2 नमकीन (कुकीज)	रू...........पैसे...........(अंको में) रू.......................पैसे................. (शब्दों में)

लंच/डिनर स्वच्छ एवं अच्छी गुणवत्ता वाले पैकेट में

क्र.सं.	विवरण	प्रति यूनिट दर (समस्त करों सहित) (शब्दों व अंको में)
1.	चपाती गेहूँ के आटे की 4 नग (140 ग्राम वजन)	रू...........पैसे...........(अंको में) रू.......................पैसे................. (शब्दों में)
2.	मौसमी सब्जी सूखी 120 ग्राम	
3.	दाल 150 ग्राम	
4.	पनीर की सब्जी 120 ग्राम	
5.	दही/बूंदी रायता 120 ग्राम	
6.	पुलाव/जीरा चावल (बांसमती साबूत) 200 ग्राम	
7.	सलाद – 100 ग्राम	
8.	मिठाई – 1 पीस (देशी घी में)	
9.	पानी (आर.ओं.) मय गिलास	

घोषणाः– परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी की गई उक्त निविदा सूचना के क्रम में प्रकाशित की गई शर्ते जो निविदा के साथ संलग्न है, उनसे हम पूर्णतया सहमत है। (हमारी स्वीकृति बतौर हमने सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है)।

निविदादाता के हस्ताक्षर (मय सील)
नाम एवं पूरा पता